

1

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया

सुखदेव प्रसाद बनाम् रामप्रसाद स्वर्णकार वगै०

विविध वाद संख्या -16/2024

U/S - 144 Cr.P.C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित										
	प्रथम पक्ष:— सुखदेव प्रसाद, पिता स्व० बाजो सोनार उर्फ बाजो प्रसाद, साकिन— जरमुने, टोला— मझिलाडीह, थाना—बगोदर, जिला— गिरिडीह। बनाम् द्वितीय पक्ष:— 1. रामप्रसाद स्वर्णकार, पिता— स्व बेनी स्वर्णकार, 2. कृष्णाप्रसाद स्वर्णकार, पिता— स्व० बेनी स्वर्णकार, 3. सकलदेव सोनी, पिता— रामप्रसाद स्वर्णकार, साकिन— जरमुने, टोला— मझिलाडीह, थाना—बगोदर, जिला— गिरिडीह। आदेश आवेदक के आवेदन पत्र एवं अंचल अधिकारी, बगोदर के पत्रांक — 48, दिनांक — 16.01.2024 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर, निम्नलिखित भूमि पर, Cr.P.C. की धारा 144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की गई। विवादित भूमि की विवरणी <table><tr><th>मौजा</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th><th>चौहद्दी</th></tr><tr><td>जरमुने</td><td>68</td><td>2520</td><td>08 डी०</td><td>उ०— कारु मिस्त्री, द०— घोटन महतो, पु०— केशो मिस्त्री, प०— रास्ता।</td></tr></table> वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर, दोनों पक्षों के सदस्यों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए, अपने-अपने दावे के समर्थन में कारण-पृच्छा की माँग की गई। इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये। प्रथम पक्ष प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 11.08.2023 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :-	मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहद्दी	जरमुने	68	2520	08 डी०	उ०— कारु मिस्त्री, द०— घोटन महतो, पु०— केशो मिस्त्री, प०— रास्ता।	
मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहद्दी								
जरमुने	68	2520	08 डी०	उ०— कारु मिस्त्री, द०— घोटन महतो, पु०— केशो मिस्त्री, प०— रास्ता।								



30-03-2024
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

1. लिखित आवेदन - कुल 04 पृष्ठ, प्रदर्श 1A
2. बुधनी देवी के नाम से ऑफलाइन लगान रसीद की छायाप्रति (रसीद संख्या-198708, दिनांक- 10.11.1983)- कुल 01 पृष्ठ,- प्रदर्श 1B
3. केवाला संख्या - 12298, दिनांक - 01.09.1975 की छायाप्रति (विकेंता - मसोमात बुधनी, पति - सुकर महतो, केंता - बुधनी देवी, पति - बाजी सोनार) - कुल 02 पृष्ठ,- प्रदर्श 1C

प्रथम पक्ष के लिखित आवेदन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है-

आवेदन का प्वाइंट नं० 04 - यह कि प्रथम पक्ष को जमीन बजरिये केवाला संख्या-12298, दिनांक- 01.09.1975 मसोमात बुधनी, जीजे सुकर महतो बनाम बुधनी देवी पति बाजी सोनार को हासिल है जो प्रथम पक्ष की माता है।

आवेदन का प्वाइंट नं० 05 - यह कि प्रथम पक्ष की जमीन मौजा- जरमुने, थाना- बगोदर, थाना नं० - 108 के अंदर खाता संख्या- 68, प्लॉट संख्या- 2520, रकबा- 71 डी० मघे 08 डी०, चौहदी 30- कारु मिस्त्री, द०- छोटन महतो, पु०- केशो मिस्त्री, प०- रास्ता मीतन महतो।

आवेदन का प्वाइंट नं० 06 - यह कि उक्त जमीन का जमाबंदी अंचल कार्यालय, बगोदर के जमाबंदी पंजी ॥ के भाग संख्या - 10, पृष्ठ संख्या - 131 में प्रथम पक्ष की माता बुधनी देवी के नाम से जमाबंदी कायम है, जिसका मालगुजारी रसीद लगातार निर्गत होते आ रहा है।

द्वितीय पक्ष

अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर - सरिया के द्वारा निर्गत नोटिस (ज्ञापांक - 36, दिनांक- 01.02.2024), थाना बगोदर के द्वारा दिनांक - 01.02.2024 को प्राप्त किया गया, परन्तु थाना स्तर से तामिला प्रतिवेदन आप्राप्त है।

द्वितीय पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तथा अपना पक्ष नहीं रखे।

अंचल बगोदर का प्रतिवेदन -

अंचल बगोदर का पत्रांक - 48, दिनांक - 16.01.2024 - प्रदर्श 2A

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

चूंकि थाना बगोदर से नोटिस तामिला अप्राप्त है, द्वितीय पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, तथा उनका पक्ष न्यायालय के सामने नहीं आया; अतः द्वितीय पक्ष को बिना सुने कोई निर्णय लेना उचित प्रतीत नहीं होता है, अतः इस वाद को अनिर्णित समाप्त घोषित किया जाता है।

असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को निर्णय से अवगत करायें।

कानून व्यावस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति, थाना एवं अंचल अधिकारी को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

30.03.2024
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।

30.03.2024
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।
अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

